मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 13, शक सम्वत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 189 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 187 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

श्री दिनेश राय, सदस्य तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए एवं आसंदी की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गए.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों को बोलते समय भाषा को संयत रखा जाना

तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा के दौरान श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य ने भितरवार में कृषक संगोष्ठी के आयोजन के आमंत्रण संबंधी अनियमितता का उल्लेख करते हुए श्री गौरीशंकर बिसेन, कृषि मंत्री के प्रति असंयत भाषा में टिप्पणियां की जाने से कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद व्यवधान हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि "आज एक साधारण विषय पर सदन का महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण प्रश्न चले गए. यदि तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर माननीय सदस्य पिन प्वाइंट प्रश्न पूछ लेते तो शायद शासन से पिन प्वाइंट उत्तर आ जाता, उसके बजाए उन्होंने आक्षेप लगाया और इसी कारण से व्यवधान हुआ. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की उच्च परंपरा को देखते हुए अपनी भाषा संयत रखें ताकि सदन का समय खराब न हो. अब विषय समाप्त है, जो कुछ भी बात करना है, माननीय सदस्य अलग से शिकायत कर सकते हैं.

4. स्वागत उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गणेश सिंह, सांसद महोदय की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की नागझिरी एवं बस्ड में पेयजल टंकी का निर्माण किये जाने,

(2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की जौरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत पहाड़गढ़ के कई ग्रामों में पुरानी व जर्जर विद्युत लाईन से दुर्घटना की संभावना होने,

(3) श्रीमती चंदा सुरेन्द्रसिंह गौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा में पालीटेक्निक भवन की निर्माण राशि का प्रदाय न किये जाने,

(4) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य रीवा जिले के ग्राम पंचायत मड़ना में किसानों से अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार किये जाने,

(5) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले के जबेरा विकासखंड में पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्माण किए जाने,

(6) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग के नामांतरण प्रक्रिया संबंधी विशेष आदेश के निरस्तीकरण किए जाने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में नलजल योजनाएं बंद होने,
(8) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की सतना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतवारा, बिरसिंहपुर आदि में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने,
(9) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की सिंगरौली जिले के ग्राम पापल में गोठान भूमि पर अतिक्रमण होने एवं
(10) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की भोपाल के रातीबड़ स्थित विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) बालाघाट जिले की जनपद पंचायत नेत्रा ग्राम में एक किसान द्वारा आत्महत्या किया जाना

श्री मधु भगत, सदस्य ने उल्लेख किया कि बालाघाट जिले की जनपद पंचायत के नेत्रा ग्राम में बिजली कटौती के चलते एक किसान ने आत्महत्या की है, उसके ऊपर दो लाख का कर्ज था

(2) प्रायवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अनियमितता की जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रायवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु व्यापम द्वारा 2010-11 से 2012-13 में हुई परीक्षाओं में अनियमितता का उजागर सी.बी.आई. द्वारा किया गया है और उसके द्वारा चालान भी पेश किया गया है. इसी तरह 2017 में हुई नीट की काउंसिलिंग में भी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं हुई है, जिस पर हम लोगों ने स्थगन और ध्यानाकर्षण दिए हैं. कृपया चर्चा करा लें.

(3) मंदसौर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज की स्थापना की जाना

श्री यशपालसिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि गांधी चौराहा,मंदसौर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर पिछले एक सप्ताह से धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है. सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस आंदोलन में अहम् भूमिका निभाकर शासन, प्रशासन से मेडिकल कालेज की स्थापना की मांग कर रहे हैं.

(4) सागर जिला चिकित्सालय का मेडिकल कालेज में विलय समाप्त किया जाना

सर्वश्री हर्ष यादव, शैलेन्द्र जैन, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि सागर जिला चिकित्सालय की मेडिकल कालेज में मर्जर की कार्यवाही खत्म की जाए, जिससे वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं वह बहाल हो सकें. हम शासन से अनुरोध करते हैं कि यथाशीघ्र डी-मर्जर की कार्यवाही की जाए.

(5) रीवा जिले में युवक के साथ मारपीट की जाना

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि रीवा जिले में श्री मनीष पटेल के साथ पुलिस के सहयोग से मारपीट की गई, जिससे वह मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में भर्ती है. उसको समुचित इलाज मिल सके, इसलिए उस युवक को बाहर भेजकर इलाज कराया जाए और जिन लोगों ने मारपीट की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाय.

(6) खण्डवा से इच्छापुर मार्ग पर हो रही दुर्घटनाएं रोकने के लिए भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया जाना

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि खण्डवा से इच्छापुर सड़क पर टोल टैक्स का बैरियर हट जाने से नेश्नल हाई-वे का ट्राफिक भी इस मार्ग से जा रहा है, जिससे इस सड़क पर प्रतिदिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही है. इसलिए इन्हें रोकने हेतु भारी वाहनों पर टोल टैक्स लगाया जाय या फिर उन्हें इस मार्ग पर आने से रोका जाय.

(7) पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नि को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य ने उल्लेख किया कि दिनांक 1 जून 2017 को मां नर्मदा मंदिर परिसर के बाहर स्थित तीर्थ कोटि स्नान कुण्ड में करंट लगने से संजय कुमार जैन, वार्ड-4, खरगापुर, जिला टीकमगढ़ की मृत्यु होने के पश्चात उनकी पत्नि श्रीमती नीलम जैन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है, शासन से अनुरोध है कि उन्हें शीघ्र सरकारी नौकरी दी जाय.

(8) सिवनी शहर में छिंदवाड़ा से आई 15 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया जाना

श्री दिनेश राय, सदस्य ने उल्लेख किया कि सिवनी में छिंदवाड़ा से आई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. आरोपी व्यक्तियों को सफेदपोश नेताओं द्वारा संरक्षण देकर बचाया जा रहा है. इसमें उचित कार्यवाही की जाय.

(9) पत्रकार द्वारा समाचार छापने पर टी.आई. को निलंबित न कर आरक्षक को निलंबित किया जाना

कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि कटनी कोतवाली के टी.आई. के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा समाचार प्रकाशित करने के बाद टी.आई.को निलंबित न कर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. इसमें उचित कार्यवाही की जाय.

(10) शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर पंचायत में 48 बाल्मीक परिवारों के घरों को जलाया जाना

श्री के.पी.सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर पंचायत में 48 बाल्मीक परिवारों के घरों को जला दिया गया है. नामजद एफ.आई.आर.होने के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. आरोपीगण जिले के प्रभारी मंत्री के साथ दौरों में घूम रहे हैं. गृह मंत्री से अनुरोध है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाय.

(11) बी.एच.ई.एल. क्षेत्र में नवीन कालेज की बिल्डिंग बनाई जाना

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश सरकार ने बीएचईएल क्षेत्र में कालेज बनाने की स्वीकृति दी है और वह जमीन जहां पर कालेज बनना है, वहां बी.एच.ई.एल. का पुराना जर्जर भवन बना हुआ है, न तो वह खुद भवन बनाते हैं और न ही हमको बनाने की अनुमति देते हैं, इस विद्यालय में 2000 बच्चियां पढ़ती है. सरकार से अनुरोध है कि वह बी.एच.ई.एल. द्वारा जमीन उपलब्ध कराए साथ ही इसके लिए प्रस्तावित 7.10 करोड़ की राशि की शीघ्र स्वीकृति दे.

(12) सिंहस्थ के दौरान पदस्थ होम गाड्‌र्स के जवानों को पुलिस के रिक्त स्थानों में भर्ती किया जाना

श्री कैलाश चावला, सदस्य ने उल्लेख किया कि सिंहस्थ 2016 में होमगाड्‌र्स के जवानों की भर्ती प्रशिक्षण देने के बाद की गई थी, फिर सिंहस्थ के बाद उनको निकाल दिया गया था, बीच में 3 महीने के लिए उन्हें आपदा प्रबंधन के लिए भी बुलाया गया था, उसके बाद उनकी किट भी जमा करा ली गई है, जिससे वह बेरोजगार हो गए हैं. शासन से अनुरोध है कि पुलिस में जो होम गाड्‌र्स के रिक्त पद हैं, जिनकी भर्ती हो रही है, उन पदों में रखने के लिए विचार किया जाय.

(13) चित्रकूट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना

श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य ने उल्लेख किया कि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के जैतवारा, बिरसिंहपुर और चित्रकूट में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने से वहां की जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें सतना एवं अन्यत्र जाकर इलाज कराना पड़ता है. चिकित्सकों की भी वहां कमी है. सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन किया जाय.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-60-2015-1/पांच (119), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 पटल पर रखी.

(2) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री की अनुपस्थिति में श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षामंत्री ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 19 सन् 1973) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, हौम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2017,

(ii) मध्यप्रदेश एम.डी. (होम्यो.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017, तथा

(iii) मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद) / एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम, 2017

पटल पर रखे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा, वित्तीय वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

8. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री के.डी. देशमुख, मधु भगत,डॉ.योगेन्द्र निर्मल सदस्यगण ने बालाघाट जिले की कई तहसीलों के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, कैलाश चावला सदस्यगण ने धार जिले के कुक्षी एवं डही आदिवासी क्षेत्र में डायवर्सन को लेकर अधिकतम पेनाल्टी लगाई जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(2) श्री शैलेन्द्र जैन,(जिला- सागर)
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, (जिला- रीवा)
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, (जिला-छतरपुर)
(5) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), (जिला- शहडोल)
(6) श्री प्रदीप अग्रवाल, (जिला-दतिया)
(7) श्री दिव्यराज सिंह, (जिला-रीवा)
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, (जिला- आगर)
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार, (जिला-नीमच)
(10) श्रीमती शीला त्यागी, (जिला-रीवा)
(11) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, (जिला-मुरैना)
(12) कुंवर सौरभ सिंह, (जिला- कटनी)
(13) श्रीमती ममता मीना, (जिला- गुना)
(14) श्री संजय शर्मा, (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, (जिला-अनूपपुर)
(16) श्री कालुसिंह ठाकुर, (जिला- धार)
(17) श्री राजेश सोनकर,(जिला- इन्दौर)
(18) डॉ. रामकिशोर दोगने, (जिला- हरदा)
(19) श्री नानाभाऊ मोहोड़, (जिला-भोपाल)
(20) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, (जिला-मुरैना)
(21) श्री लखन पटेल, (जिला-दमोह)
(22) श्री नारायण सिंह पंवार, (जिला-राजगढ़)
(23) श्री पन्नालाल शाक्य, (जिला-गुना)
(24) श्री हरदीप सिंह डंग, (जिला-मन्दसौर)
(25) श्री कुंवरजी कोठार, जिला-राजगढ़)
(26) श्री अमर सिंह यादव, (जिला-राजगढ़)
(27) श्री रामनिवास रावत, (जिला-श्योपुर)
(28) श्री मुकेश नायक, (जिला-पन्ना)
(29) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, (जिला-टीकमगढ़)
(30) श्री संजय उइके,(जिला- बालाघाट)
(31) श्रीमती झूमा सोलंकी, (जिला-खरगोन)

(32) श्री सोहनलाल बाल्मीक, (जिला-छिन्दवाड़ा)
(33) श्रीमती सरस्वती सिंह, (जिला- सिंगरौली)
(34) श्री केदारनाथ शुक्ल, (जिला-सीधी)
(35) श्री घनश्याम पिरौनियाँ, (जिला-दतिया)
(36) श्री सुन्दरलाल तिवारी, (जिला रीवा)
(37) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, (जिला-मुरैना)
(38) श्री राजकुमार मेव, (जिला- खरगोन)
(39) पं. रमाकान्त तिवारी, (जिला-रीवा)
(40) श्री हर्ष यादव, (जिला- सागर)
(41) श्री चेतराम मानेकर, (जिला-बैतूल)
(42) श्री दिनेश राय, (जिला-सिवनी)
(43) श्री नथनशाह कवरेती, (जिला-छिन्दवाड़ा)
(44) श्री जालम सिंह पटेल, (जिला- नरसिंहपुर)
(45) श्री गोविन्द सिंह पटेल, (जिला- नरसिंहपुर)
(46) श्री मथुरालाल, (जिला- रतलाम)

10. शासकीय वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1289) के उत्तर भाग (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पत्रक-1 में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ.गोविन्द सिंह
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री सचिन यादव

श्री विश्वास सारंग ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री विश्वास सारंग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची में उल्लेखित कार्यों पर समय आवंटित किया जाना एवं सदन के समय में वृद्धि विषयक

(1) अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद 6 के उप पद दो एवं 8 में उल्लेखित विधेयकों पर 1-1 घंटा तथा उप पद 3 से 7 में उल्लेखित विधेयकों पर 30-30 मिनट का समय चर्चा हेतु सदन की अनुमति की प्रत्याशा में आवंटित किया गया है.

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ.गोविन्द सिंह
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री यशपालसिंह सिसौदिया
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(5) श्रीमती पारूल साहू केशरी
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री रामपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(अपराह्न 3.17 से 4.33 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री यशपालसिंह सिसौदिया
(3) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल

श्री जयभान सिंह पवैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ.गोविन्द सिंह
(2) श्री यशपालसिंह सिसौदिया
(3) श्री रामनिवास रावत

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(4) श्री जसवंत सिंह हाड़ा

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

14. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्रीमती माया सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्रीमती माया सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. अध्यक्षीय घोषणा (क्रमशः)

श्री रामनिवास रावत, कुंवर विक्रम सिंह, श्री सुखेन्द्र सिंह सदस्यगण ने आसंदी से अनुरोध किया कि विधानसभा की बैठकें 8 दिसम्बर 2017 तक हैं, तब तकसदन चलाया जाए. अभी 4 विधेयकों पर 2.30 घंटे की चर्चा शेष है, लोकलेखा समिति के सभापति महोदय को भी मनोनीत करना है, प्रदेश के 8 जिलों की 138 तहसीलों में सूखा पड़ा है, जिस पर नियम 139 पर चर्चा मांगी है और जो आज की कार्यसूची में भी है. कृपया आप उस पर भी चर्चा कराएं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शोर, व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 5.45 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 5.56 बजे विधानसभा पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

सर्वश्री रामनिवास रावत, सुखेन्द्र सिंह एवं कुंवर विक्रम सिंह, सदस्यगण द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि शाम के 6 बजने वाले हैं. कम से कम हमें यह आश्वासन तो मिल जाए कि आप सूखे पर, किसानों की समस्याओं पर नियम 139 की चर्चा कराएंगे. अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि कार्य पूर्ण होने तक ही सदन के समय में वृद्धि की गई है. इसी में नियम 139 की चर्चा भी होगी.

17. विपक्ष के सदस्यगण द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किया जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि इतनी जल्दी चर्चा नहीं होती है, कल कराई जाए. इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नारेबाजी की गई तथा नियम 139 के अधीन चर्चा को अगले दिन कराए जाने की मांग को लेकर सदन से बहिष्कार किया गया.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा हेतु विपक्ष के सदस्यगण के भी नाम पुकारे गए लेकिन उनके द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार के कराण सभी शासकीय विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया गया.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री दीपक कैलाश जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र जैन
(2) श्री रामप्यारे कुलस्ते

श्री दीपक कैलाश जोशी ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री दीपक कैलाश जोशी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सदन को सूचित किया कि अल्प वर्षा से फसलों के नष्ट होने, कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य न मिलने, कृषि मजदूरों के पलायन आदि के कारण कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों से स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई. विषय की गंभीरता एवं माननीय सदस्यों के अनुरोध पर इन सूचनाओं को समामेलित करते हुए नियम-139 के अंतर्गत इन एकजाई विषयों पर चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा हेतु विपक्ष के सदस्यगण के नाम पुकारे गए लेकिन उनके द्वारा सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के कारण चर्चा में भाग नहीं लिया गया. तत्पश्चात निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.डी.देशमुख
(2) श्री दिनेश राय
(3) श्री शिवनारायण सिंह
(4) डॉ.योगेन्द्र निर्मल
(5) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(6) श्री अनिल फिरोजिया
(7) श्री मंगलसिंह धुर्वे

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

20. सत्र का समापन संबंधी प्रस्ताव
सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव किया कि - "नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र के लिए निर्धारित आवश्यक शासकीय और वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अतः मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समापन किया जाय एवं तदुपरांत बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

21. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान किया गया.

22. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 6.44 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 4 दिसम्बर, 2017